

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इ  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

मूल वाद मे डिकी  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार गोयल आर.ए.एस

1 अनिल कुमार पुत्र बृजलाल जाति महाजन / अग्रवाल निवासी सब्जी मण्डी जैन धर्मशाला के पास  
करौली हाल निवासी पुरानी ट्रक यूनियन करौली तहसील व जिला करौली -वादी

बनाम

1 विष्णुचंद  
2 ओमप्रकाश  
3 दीनदयाल  
4 दीपक  
5 सुशीला पत्नि मदनमोहन लाल  
7 लेण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली

पिसरान बृजलाल  
पिसरान मदनमोहनलाल

जाति महाजन / अग्रवाल निवासी  
मण्डी जैन धर्मशाला के पास करौली  
हाल निवासी पुरानी ट्रक यूनियन  
करौली तहसील व जिला करौली

-प्रतिवादीगण

दावा 88 आर.टी.एक्ट

नुकदमा नम्बर 25/2017

निर्णय दिनांक 29.9.2017

वादी की ओर विष्णुचंद बंसल एडबोकेट उपस्थित एवं प्रतिवादी ओर इकरामुददीन खॉन उपस्थित है इस वाद मे आज तारीख 29.9.2017(नाम पीठासीन अधिकारी) उप खण्ड अधिकारी करौली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है। और डिकी दी जाती है। अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 तथा प्रतिवादी नम्बर 3 ता 5 को आराजी खसरा नम्बर 6636 रकवा 1 वीधा कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 10 तहसील करौली का 1/4-1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे अन्नत कुमार के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र बृजलाल, विष्णुचंद, ओमप्रकाश, पिसरान बृजलाल व मदनमोहन के स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 3 ता 5 का नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के हक मे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड अंकन अमल किये जावे।

यह आज तारीख 29.9.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी।

पीठासीन अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी  
करौली

वादे के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
2 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
3 आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	